

सं0 सं0 14/एम 11-4/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.12.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विजय कान्ती देवी पति—चन्द्रशेखर पाठक ग्राम—विक्रमपुर पो०—कमरीयांव थाना—तीयर जिला—भोजपुर ओ.पीडीन०—422—13	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	अजय कुमार सिंह पिता—स्व. रामजन्म सिंह ग्राम—हर बल्लभपुर पो०—कुरारी थाना—दुर्गावती जिला—भमुआ कैमुर ओ.पीडी न०—380 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	रघुनी यादव पिता—स्व. दुर्बल यादव ग्राम—नौतन बलुआ पो०—नौतन दुबे थाना—नौतन जिला—प० चम्पारण ओ.पीडीन०—बी—965103	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	मधुरेन्द्र कुमार पिता—श्री लाला राम ग्राम—डरवा पो०—थाना—मोहनीया जिला—भमुआ कैमुर ओ.पी.डी.न०—20299	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

३१/१२/१७  
५/१५

5	सरस्वती कुंवर पति—स्व० बुटन राम ग्राम—नाहो, पो०—बेलवाई थाना—काराकाट जिला—रोहतास ओ०पी०डी —1429 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	सबीता देवी पति—विजय कुमार प्रसाद ग्राम—इनरवाभार पो०—पहाड़ीया थाना—पहाड़पुर जिला—पूर्वी चम्पारण ओ.पीडी नं०—2457 / 14	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 0 4,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509135 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम—कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

#### विश्वासभाजन

₹ 0/-

( डा० आजाद हिन्दू प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509135 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹ 0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 6-1-16

ज्ञापांक - 20 (14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०/११/१२/११

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

५.१.१६

सं0 सं0 14 / एम 11-4 / 15

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ आजाद हिन्द्र प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी | -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.12.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आशा देवी पति—कपिलदेव प्रजापति ग्राम—सुगीया पोखर पो0+थाना—भगवानपुर जिला—भमुआ, कैमुर ओ.पी.डीन0-2493 / 13	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	ललीता देवी पति—गगन देव ठाकुर ग्राम—पो0—चिन्तामनपुर थाना—पीपरा जिला—पूर्वी चम्पारण ओ.पी.डीन0-1648 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	प्रमीला देवी पति—राम वचन राय ग्राम—फुल्ली पो0—झीटा थाना—कोचस जिला रोहतास एम.आरबी—38567	गुर्दा रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	राम बहादुर यादव पिता—स्व0 रेगई यादव ग्राम—हरबल्लभपुर पो0—कुड़ारी थाना—दुर्गावती जिला—भमुआ, कैमुर ओ.पी.डी नं0-210 / 10	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

३/११/५/१  
११/११/५

5	उपेन्द्र राय पिता—शारदा राय ग्राम—पो०—मुखराव थाना—कुछीला जिला—भभुआ, कैमुर ओ०पी०डी०—404 / 5	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	धनुषधारी तिवारी पिता—स्व. रामदेव तिवारी ग्राम—मसाढी पो०—देवहलीया थाना—रामगढ़ जिला—भभुआ, कैमुर ओ.पीडीन०—22982115	कैंसर रोग ₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
7	बिन्दा देवी पति—राम दुलार सिंह ग्राम—छाता बराढी पो०—पजरांव थाना—नुआव जिला—भभुआ, कैमुर ओ०पी०डी०—2084 / 12	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 0 5,35,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,35,000/- (पांच लाख पैंतीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ₹ 0 9130 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम—कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा ।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय ।

विश्वासभाजन

₹ 0/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ₹ 0 9130 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वार्षित खाताधारक को कर दिया जाय ।

₹ 0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 12-1-16

ज्ञापांक - ३५ (१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

२१.१२.१८

सं0 सं0 14/एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आशा शुक्ला पति—विनय कुमार शुक्ल ग्राम+पो०—ममरखा थाना मलाही जिला—पूर्वी चम्पारण सी.आरन०-2015342220	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	गोपाल पंडित पिता—रघुवीर पंडित ग्राम—पो०—झुमरी थाना मुफसिल जिला—बेगुसराय सी.आरन०-2015483467	गंभीर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	सुश्री काजल कुमारी पिता—श्रवण सिंह ग्राम+पो०—रामनगर दियारा थाना—अथमलगोला जिला—पटना सी.आरन०-2013583257	गंभीर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	यश राज पिता—नितेश कुमार तिवारी ग्राम—तीवारी टोला पो०—अशोक पकड़ी थाना—पीपरा जिला—पूर्वी चम्पारण सी.आरन०-2015881298	गंभीर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	नन्दनी कुमारी पिता—दिलिप साह ग्राम—गुठनी पो०—थाना—गुठनी जिला—सीवान सी.आरन०-2015914732	ऐट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

४/१/१२  
५/१/११

6	श्रीपति देवी पति—जगदीश राय ग्राम—अखिलयारपुर कमतौल पो0—अनंत कमतौल थाना—कुड़नी जिला—मुजफ्फरपुर सी.आरनं0—2015492631	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	लालती देवी पति—नरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम—संडैल पो0—घटराइन थाना—मदनपुर जिला—औरंगाबाद सी.आरनं0—2014668784	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	लाखमुनी देवी पति—कृष्ण प्रसाद गुप्ता ग्राम—तेनुआज बाजार पो0—थाना—नटवार जिला—रोहतास सी.आरनं0—2015296984	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ८०९११३.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

८/११/१३  
५/११/१६

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि—शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि  
संलग्न चेक सं0...ई09113.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को  
कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 15.01.16

ज्ञापांक 59(14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों  
/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०/१/१८  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
१५.१.१६

सं0 सं0 14 / एम 11-4/15

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,

मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नाहीद रजा पिता—स्व. कलीमउद्दीन ग्राम—हुसैनाबाद थाना—नगर पो०—जिला— कटिहार	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	राकेश रंजन पिता—स्व. राधे कृष्ण सहाय ग्राम—विराटपुर पो०+थाना+जिला औरंगाबाद	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	अरुण भारती पिता—स्व. झींगुर महतो ग्राम+पो०—मझौल थाना चेरिया बरियारपुर जिला—बेगुसराय	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं0.

509114 ..... मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

३/१४/२  
१२/११/१८

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 62(14)

पटना, दिनांक 15.01.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
महेश्वर

## प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड  
पी0 बी0 नं0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उपेन्द्र यादव पिता—मन्ना यादव ग्राम—मजरा पो0—नगवा, थाना—इमामगंज जिला—गया	कैंसर रोग	अतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 40,000/-			

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509115 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-10404158238, खाता धारक का नाम— C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0बी0आई0, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा.आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं50,915 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

۶۰/-

## निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - ३-२-१६

ज्ञापांक - 125 (14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

## निदेशक प्रमुख (प्रशासन) २१०४८

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द्र प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक .....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रियंका कुमारी पिता—संतोष कुमार ग्राम+पो0—बभन टोली थाना गोरौल जिला—वैशाली सी.आरन0—2012674577	थलेसिनिया रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	उषा कला किरण पति—ओम प्रकाश निराला ग्राम—सरस्वती सदन, पोस्टल पार्क, रोड नं0-3 पो0—जी0पी0ओ0 थाना—जक्कनपुर जिला पटना सीआरन0—2013817397	माइलो फिबरोसीस	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	रीना देवी पति—श्री बिन्ध्याचल महतो ग्राम—मोहनपुरा पो0—कुसौधी थाना—मीरगंज जिला—गोपालगंज सी.आरन0—2015911061	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	रविन्द्र सिंह पिता—स्व. अम्बिका सिंह ग्राम+पो0—बैरीया डीह थाना—हरसीद्वी जिला—पूर्वी चम्पाण सी.आरन0—2015805687	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,30,000/-

२०। १। १। १।  
१। २। १।

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं ० ५०९१२९ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं ० 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं ० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं ० ५०९१२९ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका—२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - ३-२-१६

ज्ञापांक - १२२ (१५)

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
२१.१.२०१६

सं0 सं0 14 / एम 11-3/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में  
अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक .....  
विषय:—"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो0 मोहीउद्दीन शेख पिता—स्व नईमुद्दीन ग्राम—4/हरी जी का हाता पो0—थाना—दुमरौव जिला—बक्सर सीभीनं0-7941/15	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	विक्की पिता—जगदीश प्रसाद ग्राम—शेखपुरा पो0—न्यु जगनपुरा थाना—रामकृष्ण नगर जिला—पटना सीभीनं0-31624/15	हृदय रोग	₹ 92,000/- (बानवे हजार) स्वीकृत।
3	विभा देवी पति—मुन्ना कुमार ग्राम—डेरी पो0 करंजा थाना विक्रम जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹0 2,97,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,97,000/- (दो लाख सनतानवे हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 329118 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-10874584258, खाता धारक का नाम—AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

२१/११/३  
११/११/०

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....५०९१८.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक -

123 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

२१०.८८८१

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल  
 इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
 वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सावित्री देवी पति—श्री चंद्रिका पंडित ग्राम—झखड़ा पो०—सलहां थाना—गोविन्दगंज जिला—पूर्वी चम्पारण ओ.पी.डी.नं०—1473/06	पथरी रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
2	प्यारे लाल चौबे पिता—कालीका चौबे ग्राम+पो०—भद्रौला थाना—कुदरा जिला—भगुआ, कैमुर ओ.पी.डी.नं०—एनएस—5011/2015	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	सुदर्शन मिश्रा पिता—स्व. राजा मिश्रा ग्राम—नावागांव पो०—कसोर थाना—भगवानपुर जिला—भगुआ, कैमुर ओ.पी.डी. नं० —6960/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	सम्पत कुमार पाठक पिता—स्व० शिवधारी पाठक ग्राम—घटाव पो०—फाखरा बाद थाना—कुदरा जिला—भगुआ, कैमुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,65,000/-

३१/१/२  
 ११/१/२

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,65,000/- ( दो लाख पैसठ हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509131 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम—कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

|विश्वासभाजन

₹ 60/-

( डा० आजाद हिन्दू प्रसाद )

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509131 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹ 60/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 3-2-16

ज्ञापांक । 20 (14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०/११/२

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

महाराजा

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
बत्रा अस्पताल एडं मेडिकल रिसर्च सेंटर  
1, तुगलकाबाद इं० ऐरिया एम.बी.रोड  
नई दिल्ली 110062

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजीव कुमार पिता—कार्यानन्द सिंह ग्राम—कोइरी बीगहा पोस्ट—तेयार थाना—अकबरपुर जिला—नवादा	गुर्दा प्रत्यारोपण	विशेष परिस्थिति में ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- ( तीन लाख ) रूपये का क्रास चेक सं... ५०९/१२१.  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 3-2-16

ज्ञापांक - 119 (५)

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/  
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३/१११८  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

२१.१२.१६

सं0 सं0 14/एम 11-3/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक / मेडिकल सुप्रीटेंडेंट  
गोविन्द बल्लभ पंत हौस्पीटल  
नई दिल्ली 110002

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मोनु कुमार पिता—सत्येन्द्र सिंह ग्राम—हवनपुरा पो—भंडारी थाना—रहुई, जिला—नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रूपये का क्रास चेक सं0.....

509144 मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 174 (14)

पटना, दिनांक - 8-2-16

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०.१.१६  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
 सेवा में,  
 अधीक्षक / निदेशक  
 किदवई मेमोरियल इंस्टीच्युट आफ आनकॉलौजी,  
 बंगलौर, कर्नाटक - 560029

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उषा देवी पति-उमाशंकर साह ग्राम-कसमर पो०-रहीमपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं0.....509934  
 .....मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 113 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं0 सं0 14 / एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शीला देवी पति—सत्येन्द्र यादव ग्राम—पुर्णा मांगो बंदर टोला, तिलेर, पो0—मौड़ा थाना—खैरा जिला—जमुई केसफाइल नं0—सीएम / 29968	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	रूप नारायण शर्मा पिता—स्व. देव पुजन सिंह ग्राम—बड़ी टंगरैला पो0—शहर रामपुर थाना नौबतपुर, जिला—पटना केस फाइल नं0—सीजे0 / 04454 / 1	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	राजेश कुमार पिता—स्व0 दिलचन्द प्रसाद ग्राम—दुजराचक बुद्धा कालोनी पो0—जी0पी0ओ0 थाना—बुद्धा कालोनी जिला—पटना केसफाइल नं0—सीएम / 30897	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			<b>कुल ₹ 1,70,000/-</b>

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- ( एक लाख सतर हजार ) रूपया का क्रास चेक सं0.... 509133 ..... मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

२१/११/३  
११/११/३

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यवहार के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 121 (14)

पटना, दिनांक 3-2-16  
प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१/१३१.  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
२८.१.१६